राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
वाद संख्या–42 / 2025
बैजनाथ प्रसाद बनाम् सचिन कुमार गुप्ता।

21.01.2026 इस वाद की सुनवाई दिनांक–20.01.2026 को हुई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर उपस्थित।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग से पहले वाद के Maintainability पर सुनवाई कर आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया, अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा स्वीटी देवी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य मामले में C.W.J.C. No.15992/2023 में पारित आदेश की कंडिका–04 का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"4. Considering the aforesaid fact and the decision of the Hon'ble Full Court reported in 2019(4) PLJR 673 (Supra), the State Election Commission is directed to first decide the preliminary issue and he is made cautious that once the issue relating to maintainability of petition is made before him, he is legally bound to decide the same first and then adjudicate the case on merit."

आगे उनके द्वारा C.W.J.C. No.1682/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के कंडिका–26 का वाचन किया गया, जिसमें प्रभावकारी अंश निम्नवत् है:–

"26. Expected that henceforth all complaints that are lodged Under Section 18(2) of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be very carefully scrutinized by the Respondent State Election Commission and he maintainability of the same would be decided as a preliminary issue at the outset, in all cases, without making at contingent upon the other side challenging the maintainability of the same. It is always to be borne in mind that grassroots democracy empowers ordinary citizen to participate directly in decision making processes, fostering a more inclusive and responsive government at the local leave. This form of democracy promotes social justice by giving voice to marginalized groups, ensuring that policies are aligned with the needs and values of the community. Furthermore, it enhances civic engagement, strengthen social development and increases Government accountability. It is for these reasons that it is important that the respondent Commission should be extra careful while entertaining a complaint for a disqualification of elected representative under Section 18(2) of the Bihar Municipal Act, 2007. At the cost of repetition, it is reiterated that whenever a complaint is filed before respondent Commission, the respondent of its own should first examine the maintainability of the same as a preliminary issue and only thereafter, if it is found to be maintainable, should

the respondent commission proceed to decide the same within the scope available to it in law. It is therefore, important for the respondent Commission to put the complainant to strict rigours for satisfying regarding maintainability of the said complaint in light of the law laid down in Rajani Kumari's case. This must be done at the threshold itself before embarking on the merits of the case."

आयोग द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा **रजनी कुमारी वाद** (L.P.A. No. 566/2017) में सुनवाई करते हुए, यह आदेश पारित किया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 एवं धारा–475 से आच्छादित मामलों की सुनवाई की पूर्ण अधिकारिता आयोग में निहित है। आयोग के समक्ष आने वाले मामलों में आयोग को केवल इतना ध्यान रखने का निर्देश है कि मामला बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–479 से आच्छादित विशुद्ध चुनाव याचिका का मामला तो नहीं है। यदि मामला चुनाव याचिका से संबंधित नहीं है तथा निरर्हता से संबंधित मामला है, तो आयोग निश्चित रूप से सुनवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया रहता कि आयोग अयोग्यता पर सुनवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है, तो उक्त प्रावधानों को माननीय न्यायालय द्वारा Ultra Virus घोषित कर दिया गया रहता। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि धारा–18 के प्रावधानों को माननीय न्यायालय द्वारा Intra Virus घोषित किया गया है, तो इसका तात्पर्य है कि इससे आच्छादित सभी मामले आयोग में Maintainable है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के वाद–पत्र में वर्णित कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में वर्णित नहीं है। उक्त अधिनियम की किसी भी धारा में यह प्रावधान अंकित नहीं है कि यदि मुख्य पार्षद बोर्ड अथवा सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित करने में विफल रहते हैं, तो यह उनके निरर्हता का कारण बनेगा।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के Absconder होने के दावें के समर्थन में वादी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा ही Absconder घोषित किया जा सकता है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि धारा–18(1)(g) के तहत अयोग्य घोषित करने हेतु किसी सक्षम न्यायालय द्वारा Absconder घोषित किया जाए। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Statute में यदि इसकी आवश्यकता होती, तो विधि निर्माता उल्लेख करते कि competent court से Absconder घोषित होना

आवश्यक है। उनके द्वारा दावा किया गया कि Absconder के जगह Absconding शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसका सम्मन निर्गत करने वाले कोर्ट के समक्ष आत्मसर्मपण आथवा उपस्थित होना था, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है।

आयोग द्वारा दोनों पक्षों के तर्क, वाद के साथ संलग्न साक्ष्यों बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के संगत प्रावधान तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **रजनी कुमारी वाद** में निर्धारित Guiding Principal से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, तो वादी के तर्कों को आयोग द्वारा नियम संगत पाया गया। आयोग वादी के तर्कों से सहमत है कि यह वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 से आच्छादित है, क्योंकि बोर्ड की सामान्य बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद की है। उक्त अधिनियम की धारा–27 (A)(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि नगरपालिका के सभी कार्य मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण में नियंत्रण में किये जायेगें। अतः वैधानिक प्रावधानों के अधीन बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित करने का कर्त्तव्य मुख्य पार्षद की है। अतः यह मामला उक्त अधिनियम की धारा–18(1)(I) के अन्तर्गत शामिल है। कर्त्तव्यों का निर्वहन जान–बुझकर नहीं किया गया है, अथवा किसी अन्य कारण से यह वाद के 'मेरिट' का विषय है। अतः प्रतिवादी का यह दावा सही नहीं है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 में बैठक नहीं करने पर अयोग्यता का प्रावधान नहीं है। अतः प्रतिवादी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यह आदेश दिया गया था कि आयोग ऐसे मामलों का परीक्षण करेगा कि क्या लाया गया वाद पूर्णतः चुनाव याचिका से संबंधित है, अथवा नहीं। आयोग वाद दायर होने के उपरांत वाद–पत्र में उल्लेखित मामलों एवं संलग्न साक्ष्यों का परीक्षण उक्त निर्देश के अनुसार करने की उपरांत ही नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत सभी पक्षों को नोटिस निर्गत करता है, जिसमें मामला चुनाव याचिका से संबंधित नहीं रहता। आयोग द्वारा यह भी परीक्षण किया जाता है कि यदि पूर्व से समरूप मामले में कोई चुनाव याचिका दायर किया गया हो, तो आयोग द्वारा ऐसे मामले की सुनवाई नहीं की जाती है।

विचाराधीन वाद में भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित Guiding Principal का अनुपालन किया गया है। इस मामले में किसी न्यायालय अथवा प्राधिकार में कोई मामला लंबित हो, का संज्ञान आयोग को नहीं है तथा वाद–पत्र में उल्लेखित मामले एवं साक्ष्य प्रथम दृष्ट्या बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 के तहत वाद प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त पाये गये।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी का अनुरोध/Preliminary Objection **अस्वीकृत/खारिज किया जाता है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की**

धारा–18(1)(l) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मामले की सुनवाई का निर्णय लिया जाता है।

इस आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को कराने का आदेश श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर को दिया जाता है।

तदनुसार सुनवाई की अगली तिथि–27.01.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/–

(डॉ0 दीपक प्रसाद)

21.01.2026

ज्ञापांक–42/2025 299 पटना, दिनांक 22/1/26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी,**भोजपुर** /उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

22/01/26

विशेष कार्य पदाधिकारी